



# कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

पत्र संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०(टैक्नी०)/०२/२०२१-२२/८९१

दिनांक 20 अक्टूबर, 2023

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के टेक्नीशियन संवर्ग के अन्तर्गत ओ०टी०टेक्नीशियन, सी०एस०एस०डी० टेक्नीशियन, रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन, ई०सी०जी० टेक्नीशियन, ऑडियोमैट्री टेक्नीशियन, डेण्टल टेक्नीशियन, फिजीयोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थिरैपिस्ट, रिफ्रेक्शनिष्ट तथा रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में कट-ऑफ अंक धारित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०(टैक्नी०)/०२/२०२१-२२/४६५, दिनांक 13 अगस्त, 2021 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में समूह 'ग' के अन्तर्गत टेक्नीशियन संवर्ग के रिक्त 306 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापित के अनुक्रम में बोर्ड के पत्र संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०(टैक्नी०)/०२/२०२१-२२/६१७ दिनांक 11 जुलाई 2023 द्वारा टेक्नीशियन संवर्ग के अन्तर्गत ओ०टी०टेक्नीशियन, सी०एस०एस०डी० टेक्नीशियन, रेडियोथिरैपी टेक्नीशियन, ई०सी०जी० टेक्नीशियन, ऑडियोमैट्री टेक्नीशियन, डेण्टल टेक्नीशियन, फिजीयोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थिरैपिस्ट, रिफ्रेक्शनिष्ट तथा रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण तथा अभिलेख सत्यापन हेतु कट-ऑफ अंक सूची जारी की गई थी।

02- लिखित परीक्षा में पदवार कट-ऑफ अंक या उससे अधिक अंक धारित अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा पत्र संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०(टैक्नी०)/०२/२०२१-२२/७४८, दिनांक 23 अगस्त, 2023 तथा यथा संशोधित विज्ञापित संख्या 19/2023 दिनांक 30 अगस्त 2023 के माध्यम से पदवार अभिलेख सत्यापन क्रमशः दिनांक 05, 06 तथा 08 सितम्बर 2023 को आयोजित किये गये। अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच के उपरान्त विज्ञापन में उल्लिखित वांछित/अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करने तथा अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहने तथा अन्य कारणों से अनर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०(टैक्नी०)/०२/२०२१-२२/८५२, दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 द्वारा जारी की गई जिसमें अनर्ह अभ्यर्थियों को अपना प्रत्यावेदन निर्धारित प्रारूप के साथ बोर्ड कार्यालय में ई-मेल ukmssbexam@gmail.com पर अथवा व्यक्तिगत रूप से निर्धारित प्रारूप के साथ स्वप्रमाणित साक्ष्य संलग्न कर दिनांक 05 अक्टूबर 2023 से 09 अक्टूबर 2023 सांय 05.00 बजे तक प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। कट-ऑफ अंक धारित अनर्ह अभ्यर्थियों के सापेक्ष पदवार प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10.00 बजे बोर्ड कार्यालय में अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया।

03- उक्त के क्रम में निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदनों तथा दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को आयोजित अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों में से अनर्ह अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा नियमों के आलेक में परीक्षण किया गया। तदनुसार अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची एतद्वारा (परिशिष्ट- क) जारी की जा रही है।

**संलग्नक:- यथोपरि।**

ह०/-

(गरिमा रौकली)

सचिव

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,  
देहरादून।

'परिशिष्ट- क'  
अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

S.NO.	Post Name	ROLL NUMBER	CANDIDATE'S NAME	CAUSE OF REJECTION	FINAL DECISION ON REPRESENTATION (IF SUBMITTED)
1	O.T. Technician	2133221121	Mr. MANOJ JOSHI	अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2022 तक उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2022 के उपरान्त दिनांक 01.04.2022 को उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन की शर्त संख्या 06 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "06. अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 09.10.2023 में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण हेतु उनके द्वारा आवेदन किया था जिसकी रसीद संलग्न की गई है। रसीद प्रामाणित अभिलेख है। चूंकि अभ्यर्थी का आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2023 तक पंजीकरण नहीं हुआ था। रसीद को पंजीकरण का आधार नहीं माना जा सकता है। अतः प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
2	O.T. Technician	2133221027	Mr. MOHAMMAD NAZIM	अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2022 तक उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन की शर्त संख्या 06 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "06. अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
3	O.T. Technician	2133221075	Mr. KHUSHI RAM SAINI	अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2022 तक उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2022 के उपरान्त दिनांक 25.04.2022 को उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन की शर्त संख्या 06 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "06. अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
4	O.T. Technician	2133221079	Mr. SURAJ SAINI	अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2022 तक उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन की शर्त संख्या 06 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "06. अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक पंजीकरण न होने के तथ्य को स्वीकार किया है। अतः प्रत्यावेदन का निरस्त करते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

‘परिशिष्ट- क’  
अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

S.NO.	Post Name	ROLL NUMBER	CANDIDATE'S NAME	CAUSE OF REJECTION	FINAL DECISION ON REPRESENTATION (IF SUBMITTED)
5	O.T. Technician	2133221010	Mr. HEMANT KUMAR	अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2022 तक उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन की शर्त संख्या 06 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि “06. अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
6	O.T. Technician	2133221042	Mr. RAJENDER KUMAR	अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2022 तक उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन की शर्त संख्या 06 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि “06. अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
7	CSSD Technician	3133221001	Mr. SANDEEP KUMAR CHAMOLI	अनर्ह- अभ्यर्थी के पास ओ0टी0 टैक्नीशियन डिप्लोमा है तथा उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में ओ0टी0 टैक्नीशियन के रूप में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के शर्त 5 ( A) 3 के बिन्दु संख्या 02 में स्पष्ट उल्लेख है कि “अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से सी0एस0एस0डी0 में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो।” चूंकि अभ्यर्थी के पास सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन में डिग्री/डिप्लोमा नहीं है और अभ्यर्थी उक्त पद हेतु वांछित अर्हता धारित नहीं करता है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 09.10.2023 में उल्लेख किया गया कि सम्बन्धित पद की सेवानियमावली के अनुसार ओ0टी0/सी0एस0एस0डी टैक्नीशियन के लिए अर्हता ओ0टी0 टैक्नीशियन ही मान्य है। अभ्यर्थी का कथन स्वीकार्य नहीं है। सी0एस0एस0डी0 टैक्नीशियन पद हेतु सी0एस0एस0डी0 में डिग्री/डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अतः अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
8	Radiotherapy Technician	4133221015	Mr. HIMANSHU PANT	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा एक्स-रे टैक्नीशियन डिग्री कोर्स किया गया है एवं उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में एक्स-रे टैक्नीशियन के रूप में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के शर्त संख्या 5 ( A) 4 के नियम 2 में स्पष्ट उल्लेख है कि “अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से रेडियोथेरेपी में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो।” चूंकि अभ्यर्थी के पास रेडियोथेरेपी में डिग्री/डिप्लोमा नहीं है और अभ्यर्थी उक्त पद हेतु वांछित अर्हता धारित नहीं करता है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

'परिशिष्ट- क'  
अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

S.NO.	Post Name	ROLL NUMBER	CANDIDATE'S NAME	CAUSE OF REJECTION	FINAL DECISION ON REPRESENTATION (IF SUBMITTED)
9	ECG Technicain	5133221005	Mr. MUKESH KUMAR	अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2022 तक वैध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 10.03.2015 को उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकरण कराया गया था जिसकी वैधता दिनांक 09.03.2020 तक थी। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 18.07.2023 को पंजीकरण प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया गया। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन की शर्त संख्या 06 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "06. अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में दायर रिट याचिका 1780/2023 (एस0एस) मुकेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश का उल्लेख किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित आदेशों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी का प्रत्यावेदन दिनांक 06 अक्टूबर 2023 को निस्तारित कर दिया गया है। अभ्यर्थी का पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक नवीनीकृत नहीं है। अतः प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
10	Dental Technician	7133221018	Mr. MANOJ KUMAR MISTRY	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा डेन्टल हाईजिनिस्ट का कोर्स किया गया है तथा डेन्टिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल उत्तराखण्ड में डेन्टल हाईजिनिस्ट के रूप में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के शर्त संख्या 5 (A) 7 के नियम 2 में स्पष्ट उल्लेख है कि "अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से डेण्टल टैक्नीशियन में डिग्री/डिप्लोमा की उपाधि हो।" चूंकि अभ्यर्थी के पास डेण्टल टैक्नीशियन में डिग्री/डिप्लोमा नहीं है और अभ्यर्थी उक्त पद हेतु वांछित अर्हता धारित नहीं करता है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है। अतः प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
11	Refractionist	1013321064	Ms. NIDHI SHARMA	अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2022 तक वैध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 05.02.2013 को उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकरण कराया गया था जिसकी वैधता दिनांक 04.02.2018 तक थी। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 27.01.2022 तक पंजीकरण प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन की शर्त संख्या 06 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "06. अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 06.10.2023 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र नवीनीकृत कर दिया गया है। अभ्यर्थी का पंजीकरण दिनांक 05.02.2013 का है जो कि 05 वर्ष बाद वैध नहीं होता है। अतः प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
12	Radiographic Technicain	1153221221	Mr. SUYASH VERMA	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन दिवस को अनुपस्थित है। बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या: उ0चि0से0च0बो0/परी0(टेक्नी0)/02/2021-22/748, दिनांक 23 अगस्त, 2023 में नोट संख्या 2 में उल्लेख किया गया है कि "2. पदवार निर्धारित किये गये अभिलेख सत्यापन दिवस में यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय को पूर्व में बिना कोई सूचना दिये एवं बिना कोई समुचित कारण बताये अनुपस्थित होता है तो उसे अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा एवं पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा।" अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत रखते हुए अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

‘परिशिष्ट- क’  
अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

S.NO.	Post Name	ROLL NUMBER	CANDIDATE'S NAME	CAUSE OF REJECTION	FINAL DECISION ON REPRESENTATION (IF SUBMITTED)
13	O.T. Technician	2133221058	Mr. AJAY TIWARI	अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2022 तक उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन की शर्त संख्या 06 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि “06. अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 जनवरी 2022 तक उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।